

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 1968/माघ 18, 1889

No. 23]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 1968/MAGHA 18, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

TARIFFS

New Delhi, the 7th February 1968

No. 20(1)-Tar/68.—The Indian Tariff Commission examined during 1958-59 the cost structure of sugar and the fair sugar price payable to sugar industry and submitted its report on the subject in September, 1959. The cost schedules prepared by the Tariff Commission were adopted by Government for determining ex-factory prices of sugar from year to year.

2. In August, 1964, the Government of India appointed the Sugar Enquiry Commission to make a comprehensive enquiry into various aspects of sugar industry including the economics of sugar production and its cost structure. The Sugar Enquiry Commission submitted its report in October, 1965. The Government of India used the schedules prepared by the Commission for fixation of ex-factory prices during the year 1965-66 to 1967-68. The sugar industry has represented that the cost schedules prepared by the Sugar Enquiry Commission are based on the cost data of the crushing season 1963-64 and since then, the costs have risen sharply. Twelve per cent return allowed at present on the employed capital, it is argued, is inadequate due mainly to the increase in the lending rates by the banks. Further, that depreciation allowed is not commensurate with the increase in the cost of renewal and replacements. The Schedules, it is added, also do not provide adequately for costs incurred on transportation of cane from outstation centres which have to be necessarily opened on the orders of the State Governments. The pricing system should also take into account the capacity

factor which varies widely from factory to factory in a price zone. A change in the capital structure of the industry has occurred due to the establishment of new factories and the expansion of a large number of old units. The new and the expanded units have the advantage of scale; large modern units employ labour-saving devices, reduce costs and maximise profits.

The industry has also emphasised the need to provide adequate depreciation in the cost schedules to enable the factories to modernise and rehabilitate their worn out plant and machinery. It is urged that if depreciation is allowed only on written down values without taking cost of replacement into account, then the provision in the price of sugar on this account is bound to be inadequate. Within a zone, the practice of taking the average value of net fixed assets as the basis for calculation of depreciation works to the disadvantage of those factories which spend money for replacement or renewal of their assets; their investment is averaged over the whole zone and the units which do not make such an investment gain at the cost of those which do.

The Sugar Enquiry Commission recommended 5 cost schedules for five zones and fixation of prices for these zones with a special price for Assam. However, taking account of large variations in duration and recovery in the larger five zones suggested by the Commission, the Government used these cost schedules in 1965-66 and 1966-67 for fixing prices for 23 smaller zones. The fixation of prices on the basis of 23 zones was challenged by some factories before the Delhi High Court. The petition was dismissed by the High Court, but leave for appeal to the Supreme Court has been granted. With the introduction of partial control in 1967-68, the Government decided to fix levy prices of sugar for the five zones recommended by the Sugar Enquiry Commission. Representations have again been received from some of the factories against the fixation of prices on the basis of the five zones. Some factories have filed writ petitions in High Courts on this ground.

Another point urged is that the Government should encourage an efficient system of harvesting and quicker transport of sugarcane from the fields to the sugar factories. The issue which will naturally arise from this suggestion is whether provision for harvesting and transport from the field should be allowed in the sugar price by fixing the price of sugarcane ex-field instead of ex-factory-gate as at present.

3. In view of the above the Government of India are—— of the opinion that a fresh examination of the cost structure of sugar and the preparation of new cost schedules to determine the fair price payable to the sugar industry are necessary. The Tariff Commission should accordingly be requested, under section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951, to enquire in this behalf and submit its report/recommendation to the Government as early as possible, but not later than 9 months from the date of this Resolution. In formulating its recommendations, the Commission is requested *inter alia* specifically to enquire into the following points:—

- (i) Should the classification of factories into zones be according to the recommendations of the Sugar Enquiry Commission and, if not, on what other considerations? What part crushing capacity of a factory should play in this classification? What should be the zones into which the factories should be grouped, having regard to the basis of classification which may now be recommended by the Tariff Commission?
- (ii) While preparing the cost schedules for price fixation, the Commission might recommend the basis on which the provision for depreciation should be made: Whether depreciation to be allowed in the cost structure should be calculated on replacement value or on the written down values of assets and how individual factories which modernise their plant or expand their capacities should be compensated for the investment made?
- (iii) Whether provision should be made in the price to compensate units situated in an area which, under free market conditions, would have an inherent advantage over units in other areas due to higher productivity and better efficiency? If so, what should be the provision?

- (iv) Whether to encourage organised and efficient system of harvesting and quick transport of sugarcane from the fields to the factories, ex field price for sugarcane should be fixed and provided for in the price of sugar?
- (v) Whether and to what extent incentives should be given to compensate factories for the loss in recovery of sugar from sugarcane due to early start or working late into the hot weather?
- (vi) How far the mechanism of price fixation can be used to induce growers to supply cane to sugar factories regularly irrespective of fluctuations in gur and khandsari prices?

4 Firms or persons interested in the matter, who desire that their views should be considered, should address their representations to the Secretary, Tariff Commission, C.G.O. Building 101, Queen's Road, Bombay-1

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India

B. N. BANERJI, Spl. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

1 लघु

टैरिफ

नई दिल्ली, 7 फरवरी 1968

संख्या 20(1)/टैरिफ/68 — भारतीय टैरिफ आयोग ने 1958-59 में चीनी के लागत ढांचे तथा चीनी उद्योग को देय उचित चीनी मूल्य पर विचार किया और अपना प्रतिवेदन सितम्बर 1959 में प्रस्तुत किया। टैरिफ आयोग द्वारा तैयार की गई लागत अनुसूचियों को सरकार ने प्रति वर्ष चीनी के कारखाने से निकलते समय के मूल्य निर्धारित करने के लिये स्वीकार कर लिया।

2. अगस्त, 1964 में भारत सरकार ने चीनी उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जिनमें चीनी उत्पादन की आर्थिक स्थिति और उसका लागत-ढांचा भी शामिल है, व्यापक जांच करने के लिये चीनी जांच आयोग की नियुक्ति की। चीनी जांच आयोग ने अपन प्रतिवेदन अक्तूबर, 1965 में प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने कारखाने से निकलते समय के मूल्यों को निर्धारित करने के विषय में इस आयोग द्वारा तैयार की गई अनुसूचियों का प्रयोग 1965-66 से 1967-68 तक किया। चीनी उद्योग ने प्रस्तावेदन दिया है कि चीनी जांच आयोग द्वारा तैयार की गई लागत अनुसूचियाँ 1963-64 के पेरने के मौसम के लागत आंकड़ों पर आधारित हैं और तब से लागत अत्यधिक बढ़ गई है। यह तर्क दिया गया है कि नियोजित पूँजी पर इस समय दिया जा रहा 12 प्रतिशत लाभ अपर्याप्त है, मुख्यतः इस कारण कि बैंको द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर व्याज की दरें बढ़ गई हैं। इस के अनतिरिक्त भू-सहाय के लिये जो ऋणों की जाती है वह स्वीकरण और प्रतिस्थापन की लागत पर हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है। यह भी कहा गया है कि बाहर के केन्द्रों से जो राज्य सरकारों के आदेश पर अनिवार्यतः खोलने पड़ते हैं गन्ने के परिवहन पर किये जाने वाले खर्चों की इन अनुसूचियों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मूल्य निर्धारण प्रणाली में इस बात के तथ्य को भी जो किसी भी मूल्य क्षेत्र में प्रत्येक कारखाने के विषय में काफी विचारित होता है, ध्यान में रखा जाना चाहिए। नये कारखानों की स्थापना तथा बहुत से पुराने कारखानों के विस्तार के फलस्वरूप इस उद्योग की पूँजी

संरचना में भी परिवर्तन हो गया है। नये तथा विस्तारित एककों को यह लाभ है कि वे बड़े पैमाने पर हैं, बड़े आधुनिक एकरुप भ्रम बचाने वाले तारीके अपनाते हैं, लागत कम कर देते हैं और अधिकधिक लाभ कमते हैं।

उद्योग ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि कारखानों को अपने घिसे हुए संयंत्र तथा मशीनों का आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्थापन करने में समर्थ बनाने के लिये उद्योग को लागत अनुसूचियों में उपयुक्त मूल्यह्रास की छूट देना अपेक्षित है। यह भी कहा गया है कि यदि प्रतिस्थापन की लागत को शामिल किए बिना केवल लिखित मूल्यों पर ही मूल्यह्रास की छूट दी जाती है तो चीनी के मूल्यों में इस आधार पर की गई व्यवस्था अवश्य ही अपर्याप्त होगी। एक ही क्षेत्र में निवल स्थायी परिसम्पत्तियों के औसत मूल्य को मूल्यह्रास के आकलन का आधार मानने की रीति उन कारखानों के लिये अलाभकर सिद्ध होती है जो अपनी परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन अथवा नवीकरण के लिये धन लगाते हैं उनकी निवेशित पूँजी का पूरे क्षेत्र के आधार पर औसत लगाया जाता है तथा पूँजी लगाने वाले कारखानों की लागत पर ऐसे कारखानों को लाभ होता है जो ऐसी पूँजी नहीं लगाते।

जांच आयोग ने पांच क्षेत्रों के लिये पांच लागत अनुसूचियों और उनके लिये मूल्य-निर्धारित करने तथा आसाम के लिये विशेष मूल्य की सिफारिश की। परन्तु आयोग द्वारा सुझाए गए पांच बृहत्तर क्षेत्रों में मौसम की अवधि तथा गन्ने से चीनी प्राप्ति की मात्रा के विशाल अन्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1965-66 तथा 1966-67 में 23 लघुतर क्षेत्रों में मूल्य निर्धारित करने के लिये इन मूल्य अनुसूचियों का प्रयोग किया। 23 क्षेत्रों के आधार पर किये गये मूल्य निर्धारण को कुछ कारखानों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने याचिका को रद्द कर दिया परन्तु उच्चतम न्यायालय को अपील करने की अनुमति दे दी गई है। 1967-68 में आंशिक नियंत्रण के प्रारंभ होने पर सरकार ने चीनी जांच आयोग द्वारा सिफारिश किये गये पांच क्षेत्रों के लिये चीनी के उद्ग्रहण मूल्य निर्धारित करने का निश्चय किया। पांच क्षेत्रों के आधार पर मूल्य निर्धारण के विरुद्ध कुछ कारखानों में फिर प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ कारखानों ने इस आधार पर उच्च न्यायालयों में लेख-याचिकाएं प्रस्तुत की हैं।

एक अन्य बात यह भी कही गई है कि सरकार को चाहिए कि फसल काटने तथा गन्ने को खेतों से चीनी के कारखानों तक शीघ्र पहुंचाने की एक कारगर प्रणाली को प्रोत्साहन दे। इस सुझाव में जो बात स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगी वह यह है कि क्या खेतों से फसल काटने तथा उसके परिवहन के व्यय को चीनी के मूल्य में शामिल किया जाये और या उसके लिये गन्ने का मूल्य कारखाने के द्वार पर आने के आधार पर निश्चित करने की बजाय जैसा कि आज कल होता है, खेतों में निकलत समय के आधार पर निर्धारित किया जाये।

उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार है कि चीनी उद्योग को देय उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए चीनी के लागत ढांचे पर नये सिरे से विचार करना तथा नई लागत अनुसूचियां तैयार करना आवश्यक है। टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 12(घ) के अधीन टैरिफ आयोग को तदनुसार निवेदन किया जाये कि वह इस के निमित्त जांच करके यथासंभव शीघ्र, परन्तु इस सकल्प की तारीख से नौ महीनों से पहले-पहले अपना प्रतिवेदन/सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करे। इस की सिफारिशें तैयार करने में, आयोग में निवेदन हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों की विशेषता जांच करे कि :—

- (1) क्या कारखानों का क्षेत्रों में वर्गीकरण चीनी-जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार होना चाहिए, और यदि नहीं, तो अन्य किन बातों के आधार पर किया जाना

चाहिए ? किसी कारखाने की पेरने की क्षमता को इस वर्गीकरण में कितना महत्व देना चाहिये ? टैरिफ आयोग द्वारा वर्गीकरण के जिस आधार की प्रशंसा की जाये उस को ध्यान में रखते हुए, कारखानों का वर्गीकरण कौन-कौन से क्षेत्रों में किया जाये ?

- (2) मूल्य-निर्धारण के लिये मूल्य अनुसूचिया तैयार करते समय, आयोग उस आधार की सिफारिश कर सकता है जिस पर मूल्य-ह्रास के लिये व्यवस्था की जा सके; अर्थात् क्या लागत-हानि में बी जाने वाली मूल्य-ह्रास की छूट का आकलन प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर किया जाये अथवा परिसम्पत्ति के लिखित मूल्य के आधार पर किया जाये और जो कारखाने अपने पंयंत्र का आधुनिकीकरण अथवा अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं उनके निवेशित धन की हानिपूर्ति कैसे की जाये ?
- (3) क्या उन क्षेत्रों में स्थित कारखानों की हानिपूर्ति के लिये मूल्यों में व्यवस्था की जानी चाहिए, जिन्हें अधिक उत्पादन एवं बेहतर कार्यक्षमता के कारण निर्बाध व्यापार की स्थिति में अन्य क्षेत्रों की इकाइयों की अपेक्षा अंतर्निहित लाभ प्राप्त होगा ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए ?
- (4) क्या फसल काटने तथा गन्ने को खेतों से कारखानों तक जल्दी पहुंचाने की संगठित एवं कारगर प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिये गन्ने का खेतों से खलते समय का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए और चीनी के मूल्य में उस के लिये व्यवस्था की जानी चाहिए ?
- (5) समय से पहले पेरना आरंभ करने अथवा गर्मी के मौसम में देर तक काम करने के कारण गन्ने से चीनी बनाने में हुई कमी के लिये कारखानों की हानिपूर्ति करने की दृष्टि से क्या उन्हें प्रोत्साहक लाभ दिया जाना चाहिए और यदि हां, तो कितनी सीमा तक ?
- (6) गुड़ एवं खांडसारी के मूल्यों में घटबढ़ होने पर भी किसानों द्वारा चीनी के कारखानों को नियमित रूप से गन्ना देने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु मूल्य निर्धारण व्यवस्था का कहां तक उपयोग किया जा सकता है ?

4. इस मामले में दिलचस्पी रखने वाली फर्में अथवा व्यक्ति, जो चाहते हैं कि उन के विचारों पर विचार किया जाय, अपने अभ्यावेदन सचिव, टैरिफ आयोग, सी० जी० ओ० बिल्डिंग, 101, कबीरम रोड, बम्बई-1 के नाम भेजे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों की सेवा में भेज दी जाये और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

बी० एन० बनर्जी, विशेष सचिव ।

